न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कनवास

बइजलास लहरी कुमार जैन (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 500/2014 दावा

रमजानी पुत्र काले खां जाति मुसलमान निवासी ग्राम धूलेट तह0 कनवास जिला कोटा (राज.)

– वादीगण

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार कनवास – प्रतिवादी

दावा अन्तर्गत धारा 88,89,188,209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थित – श्री महेश कुमार मालव एड़वोकेट – वादी की ओर से
तहसीलदार कनवास – प्रतिवादी राजस्थान सरकार की ओर से

निर्णय

दिनांक– 11.02.2017

पत्रावली आज लोक अदालत में पेश हुई। उभयपक्ष उपस्थित। वादी की ओर से इस आशय का एक वाद पत्र पेश किया गया कि वादी के खाते एवं कब्जे काश्त की आराजी माल ग्राम धूलेट पटवार हल्का धूलेट तहसील कनवास जिला कोटा राजास्थान में मुताबिक जमाबंदी संवत 2050–53 खाता संख्या नई 382 पुरानी 353 के ख0नं0 457/809 की रकबा 10–00 बीघा किस्म बारानी तृतीय लगान रु0 3.70 स्थित है। जिस पर वादी सदैव से काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है तथा वर्तमान में भी वादी ने उक्त आराजी में सरसों की फसल बो रखी है। वादी ने उक्त आराजी पर यूनियनयन बैंक शाखा दरा से ऋण भी लिया था, जिसका रहन का नोट नामा0 नं0 796 से दर्ज है तथा उक्त ऋण को वादी ने अदा भी कर दिया, जिसका रहन नोट निरस्त करने हेतु नोड्यूज भी दिनांक 28.03.2007 को बैंक द्वारा तहसीलदार कनवास तथा पटवारी धूलेट को जारी कर रखा है। यह कि सेटलमेन्ट संवत 2058–2077 के दौरान सेटलमेन्ट के कर्मचारियों ने वादी के खाते एवं कब्जे काश्त की उपरोक्त वर्णित आराजी ख0नं0 457/809 की रकबा 10–00 बीघा सम्पूर्ण आराजी को ख0नं0 457 की अन्य सम्पूर्ण आराजी के साथ ही बिना कोई विधिक अधिकार के अवैधानिक तरीके से खाते से हटाकर गत मिसल बंदोबस्त संवत 2013–2032 के अनुसार सिवाय चक दर्ज कर दियष। जबकि सेटलमेन्ट विभाग को राजस्व रेकार्ड की मूल प्रविष्टियों को बदलने का कोई अधिकार हासिल नहीं है। सेटलमेन्ट कर्मचारियों ने अपने अधिकार क्षेत्र से परे जाकर वादी के खाते की आराजी को सिवाय चक दर्ज कर दिया है। जिसका उन्हें कोई विधिक अधिकार हासिल नहीं था। यह कि सेटलमेन्ट संवत 2058–2077 के दौरान ख0नं0 457 की कुल रकबा 119 बीघा 3 बिस्वा के कई सारे नये ख0नं0 कायम कर दिये गये हैं लेकिन वर्तमान नक्शा

उपखण्ड अधिकारी
कनवास जिला कोटा (राज0)

ट्रेस के मुताबिक पटवारी हल्का द्वारा वादी के कब्जे काश्त की आराजी के नये ख0नं0 1503 रकबा 1.24 हैक्टर व ख0नं0 1504 रकबा 0.56 हैक्टर बनाये गये है। जो पुराने ख0नं0 457 से बने है तथा वादी के खेत में शुरु से ही सती का चबूतरा था जो आज भी वहीं पर स्थित है, जो नया नक्शा ट्रेस में ख0नं0 1502 का चबूतरा अंकित है। यह कि वादी के खाते की वाद पत्र में उपरोक्त वर्णित आराजी के सिवाय चक दर्ज कर देने से वादी को अपने खातेदारी अधिकारों से वंचित होना पडा है तथा वादी को अपने ही खाते की आराजी से हाथ धोना पड रहा है। इस प्रकार वादी द्वारा निवेदन करते हुए अन्दर मियाद दावे को प्रस्तुत करना व माननीय न्यायालय का क्षेत्राधिकार होना बताते हुए अनुतोष चाहा गया कि –

(अ) वादी को माल ग्राम धूलेट पटवार हल्का धूलेट तहसील कनवास जिला कोटा राजास्थान में मुताबिक जमाबंदी संवत 2050–53 खाता संख्या नई 382 पुरानी 353 के ख0नं0 457/809 की रकबा 10–00 बीघा जिसके सेटलमेन्ट संवत 2058–2077 के बाद नये ख0नं0 1503 रकबा 1.24 हैक्टर व ख0नं0 1504 रकबा 0.56 हैक्टर कायम किये गये है। का वादी को खातेदार कृषक घोषित किया जावे।

(ब) प्रतिवादी को जर्ये निषेधाज्ञा पाबंद किया जावे कि वह वादी के खाते एवं कब्जे काष्त की आराजी साबिक ख0नं0 457/809 की रकबा 10–00 बीघा जिसके सेटलमेन्ट संवत 2058–2077 के बाद नये ख0नं0 1503 रकबा 1.24 हैक्टर व ख0नं0 1504 रकबा 0.56 हैक्टर कायम किये गये है पर से वादी को जबरन बेदख लना करे ना ही वादी के शांतिपूर्ण कब्जा काश्त में किसी भी प्रकार से मदाखलत व मजामहत करे तथा ना तो प्रतिवादी स्वयं ऐसा करे ना ही अपने किसी एजेन्टों, प्रतिनिधियों या अधीनस्थ कर्मचारियों से करावें।

(स) अन्य कोई न्यायोचित सहायत एवं वाद व्यय जो वादी प्राप्त करने का अधिकारी हो वह भी वादी को प्रतिवादी से दिलवाया जावे।

वादी की ओर से वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी राजस्थान सरकार को जर्ये सम्मन तलब किया गया । प्रतिवादी राजस्थान सरकार की ओर से पेरोकार सरकार उपस्थित एवं उनके द्वारा जवाब दावा दिनांक 17.10.2014 को प्रस्तुत किया गया, जो शामिल पत्रावली है। न्यायालय द्वारा आदेशिका दिनांक 02.12.2014 से तहसीलदार कनवास से मौका रिपोर्ट मंगवाई गई, जो तहसीलदार कनवास द्वारा मौका रिपोर्ट दिनांक 04.03.2015 माननीय न्यायालय में दिनांक 16.03.2015 को पेश की गई, जो शामिल पत्रावली है। पेरोकार सरकार

पत्रावली आज लोक अदालत में रखी गई। जिसमें वकील वादी की बहस सुनी गई। वकील वादी ने अपनी बहस में बताया कि विवादग्रस्त आराजी सेटलमेन्ट से पूर्व हमें आबंटित होकर हमारी खातेदारी में दर्ज थी किन्तु सेटलमेन्ट द्वारा अवैधानिक तरीके से क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर हमारे खाते की उक्त विवादग्रस्त आराजी को सिवाय चक दर्ज कर दिया गया है। इसी साबिक ख0नं0 457 से संबंधित कई खातेदारों की भूमि को सेटलमेन्ट विभाग द्वारा सेटलमेन्ट में तैयार किये गये रेकार्ड खतौनी बंदोबस्त 2058–2077 में सिवाय चक दर्ज कर दिया गया है। इस साबिक ख0 नं0 457 से संबंधित इसी प्रकार के प्रकरण सं0

उपखण्ड अधिकारी
कनवास जिला कोटा (राज0)

19/09 बउनवान गंगाबाई बनाम राजस्थान सरकार में पारित निर्णय दिनांक 11.03.2010 की प्रति मेरे द्वारा माननीय न्यायालय में पेश की गई है, जिनमें माननीय न्यायालय ने वादी को खातेदार कृषक घोषित किये जाने के आदेश दिये हैं। मेरे द्वारा अपने दावे के समर्थन में सेटलमेन्ट से पूर्व व सेटलमेन्ट से बाद की राजस्व रेकार्ड की नकलें भी पेश की गई है, साथ ही वकील वादी ने अपने वाद के समर्थन में आर आर टी 2013(1) पेंज नंबर 391 उदयलाल बनाम राजस्थान सरकार आर आर टी 2013(1) पेंज नंबर 226 हरिनारायण बनाम भगीरथ वगैरा आर आर टी 2008(1) पेज नंबर 151 गीगाराम वगैरा बनाम द बोर्ड ऑफ रेवन्यू वगैरा आर आर टी 2009(2) पेज नंबर 954 मोहम्मद मुश्ताक वगैरा बनाम पीरू वगैरा के नजीरें पेश की हैं जिनसे स्पष्ट है कि बंदोबस्त विभाग को विद्यमान प्रविष्टियों को प्रवर्तित करने का अधिकार नंही है। साथ ही इस न्यायालय के प्रकरण सं0 43/13 बउनवान देवीशंकर वगैरा बनाम राजस्थान सरकार में पारित निर्णय दिनांक 27.11..2014 की प्रति तथा प्रकरण सं0 219/10 बउनवान रमेशचन्द बनाम राजस्थान सरकार में पारित निर्णय दिनांक 27.01..2011 की प्रति भी पेश की गई। जो शामिल पत्रावली की गई। अतः हमें सेटलमेन्ट से पूर्व अनुसार खातेदार कृषक घोषित किया जाकर राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

पेरोकार सरकार ने अपनी बहस में कहा कि वादग्रस्त भूमि सेटलमेन्ट अधिकारी के आदेश से सिवाय चक दर्ज की गई है, अतः वादी को सेटलमेन्ट अधिकारी के आदेश के विरुद्ध अपील में जाना चाहिये, अतः वाद वादी खारिज फरमाया जावे।

हमने बहस उभय पक्ष सुनी, पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया व प्रस्तुत वाद पत्र, जवाब प्रतिवादी, प्रस्तुत दस्तावेजात, प्रस्तुत इस न्यायालय के पूर्व निर्णयों की प्रति का गहनता पूर्वक अवलोकन किया गया। वादी का कथन है कि वादी के खाते एवं कब्जे काश्त की आराजी माल ग्राम धूलेट पटवार हल्का धूलेट तहसील कनवास जिला कोटा (राज.) में स्थित है, मुताबिक जमाबंदी सम्वत् 2050 से 2053 खाता संख्या नई 382 के अनुसार वादी खसरा नं. 457/809 की रकबा 10 बीघा किस्म बारानी तृतीय लगानी 3.70 रूपये का खातेदार कृषक है। जिस पर वादी सदेव से काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है तथा वर्तमान में भी वादी उसी जगह पर काबिज काश्त है तथा वर्तमान में वादी ने उक्त आराजी सरसों की फसल बो रखी है। वादी के विरुद्ध की गई धारा 91 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट. से यह प्रमाणित है कि वादी आज भी खसरा नं. 1503 की रकबा 1.24 है0 सम्पूर्ण व खसरा नं. 1504 की रकबा 0.56 है0 में 0.36 है0 पूर्वी पर काबिज काश्त है तथा उक्त खसरा नं. वादी के खाते की पुराना खसरा नं. 457 से बने है। प्रतिवादी द्वारा भी अपने जवाब दावे में वादी का वाद तायद करते हुए खसरा नं. 1503 की रकबा 1.24 है0 सम्पूर्ण व खसरा नं. 1504 की रकबा 0.56 है0 में से 0.36 है0 पूर्वी दिशा की ओर वादी को काबिज काश्त होना बताया है तथा उक्त दोनों खसरा नं. पुराने खसरा नं. 457 के बनना अंकित किया है। जो वर्तमान में सिवायचक राजस्थान सरकार के खाते दर्ज है तथा वादी के विरूद्ध सम्वत् 2071 में खसरा नं. 1503 की 1.24 है0 व खसरा नं. 1504 की 0.36 है0 का अतिक्रमी मानते धारा 91 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट की कार्यवाही कर रखी है तथा साथ ही सेटेलमेंट विभाग द्वारा दौराने सेटलमेंट द्वारा की गई उक्त त्रुटि को दुरूस्त किये जाने योग्य बताया है । वकील वादी ने अपनी बहस में कहा

उपखण्ड अधिकारी
कनवास जिला कोटा (राज0)

कि यह सैट लॉ है कि सेटलमेंट विभाग को खाते में दर्ज मूल प्रवष्टियों को बदलने का कोई विधिक अधिकार हासिल नहीं है। लेकिन फिर भी सैटलमेंट कर्मचारियों ने अपने अधिकार क्षेत्र से परे जाकर उक्त आराजी को वादी के खाते से हटा कर सिवाय चक दर्ज कर दिया। जिसे वादी वापस अपने खाते दर्ज करवाने का अधिकारी है। वकील वादी ने अपने वाद के समर्थन में आर आर टी 2013(1) पेंज नंबर 391 उदयलाल बनाम राजस्थान सरकार आर आर टी 2013(1) पेंज नंबर 226 हरिनारायण बनाम भगीरथ वगैरा आर आर टी 2008(1) पेज नंबर 151 गीगाराम वगैरा बनाम द बोर्ड ऑफ रेवन्यू वगैरा आर आर टी 2009(2) पेज नंबर 954 मोहम्मद मुश्ताक वगैरा बनाम पीरू वगैरा के नजीरें पेश की हैं जिनसे स्पष्ट है कि बंदोबस्त विभाग को विधमान पृविष्टियों को प्रवर्तित करने का अधिकार नंही है। उपरोक्त समस्त तथ्यो, दस्तावेजात, सेटलमेन्ट से पूर्व व बाद के राजस्व रेकार्ड तथाजवाब सरकार व नजीरों की रोशनी में यह न्यायालय प्रस्तुत वाद पत्र अनुसार वादी का वाद सही मानते हुए वादी द्वारा चाहा गया अनुतोष न्यायोचित मानती है।

अतः वाद वादी स्वीकार करते हुए माल ग्राम धूलेट पटवार हल्का धूलेट तहसील कनवास जिला कोटा (राज.) की खसरा नं. 1503 की रकबा 1.24 हैक्टर सम्पूर्ण व खसरा नं. 1504 की कुल रकबा 0.56 हैक्टर में से 0.36 हैक्टर (पूर्वी दिशा) की कुल किता 2 की कुल रकबा 1.60 हैक्टयर आराजी का वादी रमजानी पुत्र कालेखां जाति मुसलमान निवासी ग्राम धूलेट तहसील कनवास जिला कोटा राजस्थान को खातेदार कृषक घोषित किया जाता है साथ ही प्रतिवादी को जर्ये स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जाता है कि वह प्रतिवादी को माल ग्राम धूलेट पटवार हल्का धूलेट तहसील कनवास जिला कोटा (राज.) की खसरा नं. 1503 की रकबा 1.24 है0 सम्पूर्ण व खसरा नं. 1504 की रकबा 0.36 है0 (पूर्वी दिशा) की कुल किता 2 की कुल रकबा 1.60 हैक्टयर आराजी पर से जबरन बेदखल न करें और न ही वादी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मदाखत व मजामहत करें न तो स्वयं ऐसा करें न ही अपने अधीनस्थ कर्मचारियों से ऐसा करावें। तद्अनुसार अंतिम डिक्री जारी की जावे। खर्चा वाद सभी पक्षकार अपना अपना वहन करेगें।

निर्णय आज दिनांक .11.02.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(लहरी कुमार जैन)
उपखण्ड अधिकारी
कनवास

उपखण्ड अधिकारी
कनवास जिला कोटा (राज०)

अन्तिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

(ऑर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix "D"-1)

न्यायालय बइजलास लहरी कुमार जैन R.A.S. उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट कनवास जिला कोटा (राज.)

रमजानी पुत्र काले खां जाति मुसलमान निवासी ग्राम धूलेट तहसील कनवास जिला कोटा (राज.)

– वादी

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार कनवास

– प्रतिवादी

दावा अर्न्तगत धारा 88,89,188,209 आर.टी.एक्ट.

मुकदमा नं 500/14 2014 यह मुकदमा आव वास्ते इनफिसाल कतई रू–ब–रू उपखण्ड अधिकारी कनवास ब हाजरी वादी की ओर से एडवाकेट श्री महेश कुमार मालव मिनजानिब मुदई व प्रतिवादी ओर से तहसीलदार कनवास मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व डिक्री जारी की जाती है ग्राम धूलेट पटवार हल्का धूलेट तहसील कनवास जिला कोटा (रा0) की खसरा नंबर 1503 की रकबा 1.24 है0, सम्पूर्ण व खसरा नंबर 1504 की कुल रकबा 0.56 है0, में से 0.36 है0, (पूर्वी दिशा) की कुल किता 02 की कुल रकबा 1.60 हे0, आराजी का वादी रमजानी पुत्र कालेखां जाति मुस्लमान निवासी ग्राम धूलेट तहसील कनवास जिला कोटा राजस्थान को खोतदार कृषक घोषित किया जाता है, साथ ही प्रतिवादी को जर्ये स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जाता है कि वह प्रतिवादी को माल ग्राम धूलेट पटवार हल्का धूलेट तहसील कनवास जिला कोटा (रा0) की खसरा नंबर 1503 की रकबा 1.24 है0, सम्पूर्ण व खसरा नंबर 1504 की कुल रकबा 0.36 है0, (पूर्वी दिशा) की कुल किता 02 की कुल रकबा 1.60 हैक्टर आराजी पर से जबरन बेदखल न करें और न ही वादी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार मदाखत व मजामहत करें न तो स्वंय ऐसा करें न ही अपने अधीनस्थ कर्मचारियों से ऐसा करावें। तद्नुसार अंतिम डिक्री जारी की जाती है। नीज ... X ...मुबलिग .... X ... बाबत ... X ..खर्चा इस मुकदमें का मय सूद व शरह ... X ...फीसदी सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक ... X ..को अदा करें।

उपखण्ड अधिकारी
कनवास जिला कोटा (राज०)

बसब्ता मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 11 माह फरवरी 2017 को जारी की गई।

मोहर .....

श्री लहरी कुमार जैन
(R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी कनवास

मुदई	रूपया	पै.	मुदायलाह	रूपया	पै.
स्टाम्प अर्जीदावा	NIL		स्टाम्प वकालतनामा	NIL	
स्टाम्प वकालतनामा ...			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुकमनामा		
बाबत इजराय हुकमनामा			मुतफर्रिक ...		
मुतफर्रिक			मीजान		
मीजान					

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिक्री के जरिये दिलाया गया हो या नहीं। दर्ज करना चाहिये।

श्री लहरी कुमार जैन
(R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी कनवास
जिला कोटा